

कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान करने के लिए प्रमाणित कार्यपद्धति

कृत्रिम गर्भाधान से बेहतर गर्भाधारण तथा अधिक दूध उत्पादन क्षमता के अगली पीढ़ी के पशु प्राप्त करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को निम्नलिखित प्रमाणित कार्यपद्धति का अनुकरण करने का अनुरोध करें।



वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए उसे तरल नाइट्रोजन के विशेष पात्र में रखना अवश्यक है। अतः कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता जो जेब में, बर्फ या पानी में वीर्य रखते हैं, उनसे अपने पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान न कराएं।

अतिहिमीकृत वीर्य को तरल करने के लिए उसे 35-37 डिग्री सेंटिग्रेड तापमान के पानी में 20-30 सेकंड रखना ही एकमात्र प्रभावी तरीका है अतः कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को थर्मोमीटर या थॉ-मानीटर का प्रयोग करने का आग्रह करें।



कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता से वीर्य स्ट्रा का चुनाव राज्य की पशु-प्रजनन नीति के अनुसार करने का आग्रह करें। केवल 'ए' या 'बी' श्रेणी के वीर्य उत्पादन केन्द्रों पर उत्पादित वीर्य का प्रयोग करने वाले कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता से ही अपने पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करायें।

कृत्रिम गर्भाधान से पहले पशु की योनि को साफ कर और हर बार ए.आई. गन को साफ करने एवं नई प्लास्टिक 'शीथ' का प्रयोग करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को बाध्य करें।



12 अंको का विशिष्ट पहचान वाला कर्ण 'टैग' पशु के कान में अवश्य लगाकर पशु की पहचान सुनिश्चित करायें। इससे प्रजनन का विश्वसनीय अभिलेख रखने एवं भविष्य में बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सुविधा होगी।



कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को पशु से संबंधित सभी जानकारी दें। कोई भी जानकारी छुपाई न जाय, इससे बेहतर अनुसारण सेवाएं प्रदान करने में सुविधा होगी।



कृत्रिम गर्भाधान के 2-3 माह बाद गर्भावस्था की जांच अवश्य करवाएं।

गाय/भैंसों की नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादकता वृद्धि हेतु कृत्रिम गर्भाधान सुविधा का लाभ उठायें



“दूध बढ़ाने का एक आधार, उज्ज्वल नस्ल के साँझों के वीर्य से कराएं गाय/भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान”



उत्तराखण्ड लाईकस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड

पशुधन भवन, मोथरोवाला, पथुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

गाय/भैंसों की नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादकता वृद्धि हेतु कृत्रिम गर्भाधान सुविधा का लाभ उठायें

उत्तराखण्ड राज्य में नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइंस ब्रीडिंग (एन०पी० बी०बी०) योजना उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेवमपमेन्ट बोर्ड (य००एल०डी०बी०), पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के माध्यम से संचालित की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुधारू पशुओं (गाय/भैंस) की दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये राज्य में एक अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, की स्थापना एवं सुदूर्ढीकरण श्यामपुर-ऋषिकेश में किया गया है, जिससे प्रति वर्ष लगभग 28 लाख अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्रा का उत्पादन किया जा रहा है। इस केन्द्र को सेन्ट्रल मॉनिटरिंग यूनिट, पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य विभाग, भारत सरकार द्वारा “ए” ग्रेड की श्रेणी में वर्गीकृत किया है। वर्तमान में इस केन्द्र के द्वारा उत्पादित अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्रा का मात्र 25 प्रतिशत का ही उपयोग राज्य में हो रहा है शेष 75 प्रतिशत अन्य राज्यों द्वारा क्रय कर है। उपयोग किया जा रहा

उत्तराखण्ड राज्य में 13.78 लाख प्रजनन योग्य गाय/भैंस हैं, जिनमें से 8.00 लाख गाय एवं 5.78 लाख भैंस हैं। राज्य में वर्ष 2016-17 में 4.43 लाख गायों एवं 1.71 लाख भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान सम्पन्न हुआ है, जिससे राज्य के 36.27 प्रतिशत प्रजनन योग्य पशु कृत्रिम गर्भाधान से आच्छादित हुए। राज्य की 63.73 प्रतिशत गाय/भैंसें अभी भी कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा से वंचित हैं। यदि हम सब मिलकर गायों/भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन 70 प्रतिशत तक करेंगे तो राज्य के दुग्ध उत्पादन में दुगुनी वृद्धि होने के साथ-साथ पशुपालकों/दुग्ध उत्पादकों की आय में भी दुगुनी वृद्धि होना स्वाभाविक है।

राज्य में उत्तराखण्ड पशु प्रजनन नीति 2005 एवं भारत सरकार के मानक संचालन प्रक्रिया (MSP) के अनुसार गाय एवं भैंसों की उच्च आनुवांशिक क्षमता की नस्लों के साँड़ों (रेड सिन्धी, साहीबाल, एच.एफ, जर्सी, एच.एफक्रास, जर्सी क्रास एवं मुररी) से उत्पादित अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्रा राज्य के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपलब्ध करायी जा रही है।

पशुपालक/दुग्ध उत्पादकों से अनुरोध है कि गाय/भैंसों के ऋतु (गर्भी) में आने पर अपने नजदीकी राजकीय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता/डेरी अथवा एन.जी.ओ. के कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता से सही समय पर कृत्रिम गर्भाधान करायें।

समय पर कृत्रिम गर्भाधान कराने से गाय/भैंस नियमित अन्तराल पर गाभिन होकर ब्यायेगी, जिससे नियमित रूप से दुग्ध उत्पादन की प्राप्ति के साथ-साथ गाय/भैंसों की अगली पीढ़ी में सुधार होगा एवं उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। इससे पशुपालक/दुग्ध उत्पादक की आय में दुगुनी वृद्धि होना सम्भव है।

पशुपालक/दुग्ध उत्पादकों को सलाह दी जाती है कि अपने पशुओं के गर्भी में आने के समय से 12-18 घंटे के मध्य ही अपनी गाय/भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान करायें।

**“कृत्रिम गर्भाधान से
नस्ल सुधारेगी
बीमारियों को फैलने से रोकेंगे।
दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा।
कृषक एवं पशुपालक समृद्ध होगा।
समृद्धि खुशहाली लायेगी।
कृषक एवं पशुपालक की आय बढ़ेगी।
दुग्ध उत्पादन से समृद्ध एवं स्वस्थ समाज होगा।
स्वस्थ एवं समृद्ध समाज से समृद्ध उत्तराखण्ड बनेगा।
समृद्ध उत्तराखण्ड से उन्नत भारत बनेगा”।**


हम सब मिलकर संकल्प लें कि अपने गौवंशीय एवं
महिषवंशीय मादा पशुओं (गाय/भैंस) को केवल कृत्रिम
गर्भाधान एवं उन्नत नस्ल के साँड़ों के वीर्य द्वारा गर्भित
करायेंगे तथा उत्तराखण्ड एवं भारत वर्ष को उन्नत बनायेंगे।



पशुपालन, डेयरी और मस्तिष्कालन विभाग
Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries

तकनीकी दृष्टि से संतति परीक्षण कार्यक्रम का सुक्ष्म परिचय

बारह नम्बर का टैग है, आधार नम्बर के समान,
पूरे भारत में एक ही है, उससे होती है, पशु की पहचान



संतति प्रमाणित सांड की विशेषतायें।

- सांड की माँ का दुग्ध उत्पादन की जानकारी
- सांड के पिता की माँ के दुग्ध उत्पादन की जानकारी
- सांड की उत्पन्न संतति (मादा बच्चे) का शारीरिक वजन की जानकारी
- उत्पन्न संतति (मादा बच्चे) की पहली व्यांत की जानकारी
- उत्पन्न संतति (मादा बच्चे) के दुग्ध उत्पादन एवं गुणवत्ता की जानकारी
- अधिकतर सूचनाओं की त्रिस्तरीय स्थलीय परिक्षण
- चयन नतीजों पर आधारित

बिना संतति परीक्षण सांड की विशेषतायें।

- सांड की माँ का दुग्ध उत्पादन की जानकारी
- सांड के पिता की माँ के दुग्ध उत्पादन की जानकारी

पता-उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड पशुपालन विभाग, पशुधन भवन मोथरोवाला देहरादून-248001



उत्तराखण्ड लाइवरस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

द्वारा संचालित प्रमुख कार्यक्रम

- ISO:9001:2015 एवं भारत सरकार से "ए" श्रेणी प्राप्त अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला श्यामपुर-ऋषिकेश द्वारा उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता के एच.एफ., जर्सी, एच.एफ. क्रासब्रेड, जर्सी क्रासब्रेड, रेड सिन्धी, साहिवाल एवं मुर्गा सांडो से प्रतिवर्ष 30.00 लाख वीर्य स्ट्रा का उत्पादन किया जा रहा है।
- मार्च, 2019 से लिंग वगीकृत वीर्य का उत्पादन व अनुदानित मूल्य पर वितरण।
- नेशनल डेरी प्लान के अन्तर्गत संतति परीक्षण कार्यक्रम द्वारा उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले एच.एफ. सीबी सांडों का उपार्जन।
- कालसी प्रक्षेत्र पर रेड सिन्धी एवं साहिवाल गायों के इलीट हर्ड का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य।
- कालसी प्रक्षेत्र को भ्रून प्रत्यारोपण कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा सेन्टर आफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की योजना स्वीकृत।
- पशुलोक प्रक्षेत्र पर हीफर रियरिंग केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित जहां से आम पशुपालकों को उचित मूल्य पर दुधारू गाय उपलब्ध कराई जायेगी।
- नेशनल लाईवरस्टॉक मिशन योजनान्तर्गत प्रदेश भर में अनुदानित मूल्य पर पशु बीमा योजना।
- श्यामपुर, कालसी व रुद्रपुर स्थित उत्पादन इकाईयों से काम्पैक्ट फीड ब्लाक का उत्पादन व चारा बैंकों के माध्यम से वितरण।
- कालसी प्रक्षेत्र पर गौ मूत्र अर्क उत्पादन व विपणन।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत प्रदेश की बद्री गायों के विकास हेतु फील्ड परफोरमेंस रिकार्डिंग व चयन से बद्री नस्ल के विकास हेतु योजना।
- राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, नरियाल गांव, चम्पावत में बद्री गाय के इलीट हर्ड का रखरखाव व संरक्षण तथा संवर्धन कार्य।
- झाँ शिवानन्द नौटियाल विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, भरारीसैण, चमोली में जर्सी गायों का संरक्षण व संवर्धन कार्य।
- प्रदेश के अन्तर्गत पशु नस्ल सुधार हेतु 1408 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पशुपालकों के द्वारा पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रदान करना।
- दिनांक 11 से 13 नवम्बर, 2018 में पंतनगर के नवीन मेला मैदान में प्रदेश के पहले पशुधन कौतिक का आयोजन।

उत्तराखण्ड पशु विकास परिषद प्रदेश के पशुधन विकास से कृषकों की आय 2022 तक दोगुनी करने में योगदान करने हेतु कठिबद्ध है।

मुख्य अधिशासी अधिकारी,

यू.एल.डी.बी., देहरादून